छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

शिकायत प्रकरण क्रमांक 80/2006

श्री अमृतांशु शुक्ला द्वारा श्री चन्द्रशेखर पंसारी मकान नं. 44/504, नवभारत चौक, कंकाली पारा, रायपुर (छ.ग.)	....	आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, अधीक्षक, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, हथबंद जिला–रायपुर (छ.ग.)	....	अनावेदक

:: आदेश ::

(05 सितम्बर 2006)

श्री अमृतांशु शुक्ला निवासी रायपुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा अधीक्षक, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, हथबंद से तीन बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी जो कि उसे विलंब से प्राप्त हुई। इसके संबंध में उसने प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील भी की थी किन्तु उसे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, हथबंद को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 28.04.06 को आवेदक एवं अनावेदक उपस्थित हुये। दिनांक 24.05.06 को अनावेदक को 15 दिन में निःशुल्क जानकारी दिये जाने का आदेश दिये गये। आवेदक के द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 06.06.06 को शिकायत की गई कि आयोग के निर्देश के पश्चात् भी उन्हें अपूर्ण जानकारी दी गई है तथा आवेदक को जानबूझकर आपराधिक प्रवृत्ति के होने के संबंध में असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया।

आयोग के द्वारा पुनः अनावेदक को नोटिस जारी किया गया तथा दोनों पक्षों को सुना गया। आवेदक ने बतलाया कि उसे अपूर्ण जानकारी दी गई है। आवेदक के कार्यग्रहण कराने के संबंध में कोई लिखित आदेश की प्रति नहीं दी गई। अनावेदक का यह तर्क था कि संचालक के द्वारा मौखिक रूप से कहे जाने पर आवेदक की सेवाऐं समाप्त की गई। यह सेवाऐं एक वर्ष के लिए ही रखी गई थी, उसकी भी अवधि पूर्ण हो चुकी है। अनावेदक ने यह भी बतलाया कि आवेदक ने अनाधिकृत रूप से अशासकीय कार्य किया है, अतः उसे रोका गया था जिसके फलस्वरूप उसने शिकायत की।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक को पर्याप्त वांछित जानकारी दी जा चुकी है। उनकी नियुक्ति अवधि भी समाप्त हो चुकी है। अधीक्षक के

द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा श्री अमृतांशु शुक्ला, मेहमान प्रवक्ता, संयुक्त संचालक प्रशिक्षण संस्थाऐं, रायपुर परिक्षेत्र–क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के मौखिक निर्देशानुसार सेवामुक्त दिनांक 20.07.05 को किया गया। अपर संचालक, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें सेवा में नहीं लिये जाने के निर्देश नहीं दिये जाने के कारण सत्र 2005–06 में पुनः कार्यग्रहण नहीं कराया गया। प्रकरण से यह स्पष्ट है कि श्री शुक्ला को मौखिक निर्देश से सेवा से पृथक किया गया। अधीक्षक को मौखिक निर्देश की पुष्टि में संयुक्त संचालक से लिखित आदेश प्राप्त करना था। आवेदक उसी लिखित आदेश की प्रति भी मांग रहा है। चूंकि सूचना अधिकारी अधीक्षक के पास लिखित आदेश नहीं है अतः उसकी प्रतिलिपि दिये जाने में असमर्थता है, इसे स्वयं अधीक्षक ने स्वीकार किया है। चूंकि सूचना का अधिकार के अंतर्गत वही अभिलेख प्राप्त किये जा सकते हैं जो कि कार्यालय में उपलब्ध हो। मौखिक निर्देश की पुष्टि अथवा सेवा से मुक्त करने के निर्देश/आदेश कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः आवेदक को आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हो सकती। सूचना अधिकारी अधीक्षक, आई.टी.आई. हथबंद के द्वारा संयुक्त संचालक एवं अपर संचालक को पत्र भेजे गए किन्तु उक्त स्तर से कोई आदेश अथवा पत्रों का जवाब प्राप्त नहीं हुआ। यह स्थिति उचित नहीं है। संचालक तकनीकी शिक्षा यह देखें कि यदि अधीक्षक के द्वारा कोई निर्देश चाहे जाते हैं तो उसका जवाब उच्च स्तर के अधिकारियों के द्वारा दिया जाना चाहिए। प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि अधीक्षक के द्वारा आवेदक को इस आधार पर आपराधिक प्रवृत्ति का माना गया है कि उसके द्वारा सूचना आयोग में आवेदन पत्र दिया गया है। इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाना उचित नहीं है। भविष्य में अधीक्षक को संचालक तकनीकी शिक्षा के द्वारा सचेत किया जावे।

शेष सभी अभिलेख आवेदक को प्राप्त हो चुके हैं अतः आवेदक का यह आवेदन अस्वीकार किया जाता है। सूचना अधिकारी के द्वारा द्वेषवश अथवा जानबूझकर अभिलेखों की प्रति नहीं दिया जाना प्रमाणित नहीं होता अतः अर्थदण्ड किये जाने का औचित्य नहीं है।

आदेश की प्रति संचालक तकनीकी शिक्षा को भी दी जावे।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त